बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ0स0 :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1343 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

श्री हृदयानंद महतो, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी के विरूद्ध कार्य प्रमंडल, वायसी अन्तर्गत बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों के प्राक्कलन निर्माण एवं मरम्मत कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिये आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 3543 अनु0 दिनांक 07.12.2017 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री महतो के पत्रांक 103 अनु0 दिनांक 25.01.2018 से प्राप्त स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। तद्लोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2695 अनु0 दिनांक 08.11.2018 द्वारा श्री महतो के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी (अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 48 अनु0 दिनांक 05.08.2019 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जॉच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त श्री महतो के विरूद्ध गठित आरोप संख्या–1, 3 एवं 5 के संबंध में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए असहमति के निम्नांकित बिन्दु पर विभागीय पत्रांक 797 अनु0 दिनांक 01.07.2021 द्वारा श्री महतो से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी :–

आरोप संख्या–1, जो बिना स्थल जॉच के प्राक्कलन तैयार करने से संबंधित है, के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि कार्यपालक अभियंता का भी स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करने का दायित्व है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री महतो का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या–3, जो NH-31 हिजला से साथियारा तालबारी पार्ट–2 के प्राक्कलन में दर्ज मिट्टी एवं Brick bats filling की मात्रा कराये गये कार्य से match नहीं करने से संबंधित है, के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि Flood Damage की स्थिति में टूटान होने के उपरान्त ही मापी लेकर प्राक्कलन तैयार किया जाता है। अतः प्राक्कलन को स्थल अनुरूप इस स्थिति में होना चाहिए। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री महतो का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

आरोप संख्या–5, जो बेलगाछी से गेहुआ पथ में GSB में Oversize पाये जाने से संबंधित है, के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के विभागीय समीक्षोपरान्त पाया गया कि जॉच पदाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त ही जी0एस0बी0 में मेटल को Oversize पाये जाने संबंधी तथ्य अंकित किया गया है। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी का मंतव्य एवं श्री महतो का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

4. श्री महतो के पत्रांक 01 दिनांक 12.07.2021 द्वारा अपना द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में यह पाया गया कि इनके द्वारा तर्क संगत एवं साक्ष्य आधारित अपना पक्ष नहीं रखा गया है, अपितु पूर्व में समर्पित बचाव बयान में कही गयी बातों को ही दोहराया गया है, जिसे पूर्व में स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। प्रश्नगत् मामले में श्री महतो

के विरूद्ध मुख्य आरोप बिना स्थल निरीक्षण कर प्राक्कलन तैयार करने का है, जिसमें कोई वित्तीय आरोप सन्निहित नहीं है। अतएव मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री महतो द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए इनके विरूद्ध निंदन की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

5. अतः उक्त के आलोक में श्री हृदयानंद महतो, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा समय–समय पर संशोधित) के नियम 14(i) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :–

(i) निदंन (2016–17)

बिहार राज्यपाल के आदेश से
13.9.21
(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1344 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) वीरचन्द पटेल पथ, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1344 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) एवं श्री हृदयानंद महतो, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, वायसी सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.9.21
उप सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–1–257/2016 1344 /पटना, दिनांक :– 14.9.21

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13.9.21
उप सचिव